सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 04, शुक्रवार, शाके 1944-अगस्त 26, 2022
Bhadra 04, Friday , Saka 1944- August 26, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 25, 2022

संख्या प.10(55)नविवि/3/2011 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(55)नविवि/3/2011 दिनांक 25.06.2013 के द्वारा अधिसूचित नागौर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, नागौर की निकाय की बैठक दिनांक 28.10.2021 के निर्णयानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत नागौर मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित किये गये संशोधनों के प्रस्तावानुसार नागौर मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों में से मेला मैदान तथा पशु चिकित्सालय हेतु दर्शाई गई भूमि को विशिष्ट क्षेत्र प्रस्तावित करते हुए शेष संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त संशोधित नागौर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर परिषद, नागौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नवनीत कुमार,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।